

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

कृष्ण पुत्र ख्यालीराम बनाम तहसीलदार (राजस्व) भादरा
जानि जात निवासी खेड़ी

दावा बाबत :- SRTACT

मुकदमा नम्बर :- 68/2020

निर्णय दिनांक :- 10/11/2021

वादी की ओर से वकील श्रीमान् अग्रवाल की व प्रतिवादीगण की ओर से

वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10/11/21 को

जुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश

दिया जाता है कि रौही मौजा 30PN के खाना संख्या 84/88 के मु०

न० 30 के किला न० 1 ता 25 में वादी कृष्ण के नाम 300

हिस्सा खानेदारी दर्ज है। मैं वादी का नाम कृष्ण उर्फ

धर्मपाल की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय

अथवा संस्था में धर्मपाल पुत्र ख्यालीराम के नाम से

कोई देय बकाया हो या अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही

के लिए वादी का नाम धर्मपाल प्रभावी रहेगा। अतः राजस्व

रिकॉर्ड में उक्त वाद भूमि में धर्मपाल पुत्र ख्यालीराम के

स्थान पर धर्मपाल उर्फ कृष्ण पुत्र ख्यालीराम दर्ज किया

जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुंतला चौधरी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़